सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, गुरुवार, 21 अगस्त, 2025
वर्षः 02, अंकः 222, पृष्ठः 8+4

सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगी रेखा गुप्ता

इनसाइड पुलिस की चूक से छूटा साइबर गिरोह का सरगना... Pg 03

Pg 12

यूपी के 45 हजार पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश :अब होमगार्डों के बराबर मिलेगा वेतन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 45 हजार पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन पीआरडी जवानों को अब समान वेतन मिलेगा। होमगार्ड के बराबर इनको रोजाना का वेतन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 45 हजार पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीआरडी जवानों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि हमारी और होमगार्डों की ड्यूटी समान है, फिर भी वेतन में काफी फर्क था। हम लोगों ने समान वेतन की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। बता दें कि कुछ पीआरडी जवानों को ही एक समान वेतन देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन पीआरडी जवानों ने कोर्ट का रुख किया है, केवल उन्हें ही समान वेतन का लाभ मिलेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सभी 45 हजार कर्मियों को इसका लाभ मिले। वकील विनोद शर्मा ने बताया कि पीआरडी जवान होमगार्ड एक्ट बनने से पहले से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों ने समान वेतन को लेकर इलाहाबाद और नैनीताल हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों का काम एक जैसा ही है, इसलिए समान वेतन दिया जाए।

वकील विनोद शर्मा ने बताया कि इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी जवानों के हक में फैसला सुनाया है।

» हाईकोर्ट ने कुछ पीआरडी जवानों को समान वेतन का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए सभी को इसका लाभ मिले

'मनी गेम्स' पर प्रतिबंध

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित

नई दिल्ली। संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी दे दी।

यह विधेयक बुधवार को लोकसभा और गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स में पैसा जमा करके मौद्रिक और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद की जाती है।

कार्यवाही की तैयारी

विधायिका बनाम सांसद की जुबानी जंग से पार्टी को काफी नुकसान

कानपुर देहात बीजेपी में गुटबाजी पर तीन दिग्गज नेताओं को नोटिस

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ/कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में आंतरिक खींचतान और गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में कानपुर देहात के तीन बड़े चेहरों–पूर्व विधायक राजेश तिवारी, पूर्व विधायक मनोज शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। इनपुट है कि आने वाले समय में तीनों को पार्टी से निलंबित भी किया जा सकता है।

अनिल शुक्ल वारसी, राजेशतिवारी, मनोज शुक्ला (पूर्व जिला अध्यक्ष)।

» पूर्व जिला अध्यक्षों ने पूर्व सांसद व उनकी पत्नी मंत्री पर लगाए थे आरोप

» अनिल शुक्ला वारसी भी योगी सरकार पर कर चुके हैं कई बार टिप्पणी

यूपी बीजेपी प्रदेश महामंत्री (मुख्यालय प्रभारी) गोविन्द नारायण शुक्ल की ओर से जारी पत्रों में कहा गया है कि इन नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पर गतिविधियां पार्टी लाइन के खिलाफ पाई गईं। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तीनों नेताओं से 7 दिन के भीतर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित होकर या लिखित में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो और भी कड़ी कार्रवाई होगी।

जानकारों का कहना है कि कानपुर देहात की राजनीति लंबे समय से स्थानीय खींचतान और गुटबाजी की वजह से सुर्खियों में रही है। संगठन के भीतर यह टकराव अब सार्वजनिक मंच तक पहुंच चुका है। खासकर पूर्व सांसद और विधायकों के बीच चल रही रस्साकशी ने पार्टी आलाकमान को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पार्टी ने साफ कर दिया है कि भाजपा की पहचान अनुशासन और संगठनबद्धता है और इसमें कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कुल मिलाकर यह कार्रवाई न सिर्फ कानपुर देहात की सियासत को नया मोड़ दे सकती है, बल्कि जिले में भाजपा की आंतरिक गुटबाजी को भी और गहराई से उजागर करती है।

कानपुर में ई-बस घोटाला- किराया लेकर टिकट न देने वाले 43 परिचालक बर्खास्त

» कंट्रोल रूम की निगरानी में खुली पोल, लाखों का राजस्व नुकसान

» आईआईटी-रामादेवी, घाटमपुर, बिंदकी और उन्नाव रूट पर सबसे ज्यादा धांधली

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर की ई-बस सेवा में बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम के कंट्रोल रूम से की गई निगरानी में 43 संविदा परिचालक यात्रियों से किराया लेकर टिकट न देने के मामले में पकड़े गए हैं। इस कारण नगर निगम को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा धांधली आईआईटी से रामादेवी, घाटमपुर, बिंदकी और उन्नाव रूट पर उजागर हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए (केसीटीएसएल) ने सेवा प्रदाता एजेंसी को तत्काल इन परिचालकों को रूट से हटाने और उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया है।

कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल) ने तीन महीने तक ई-बसों की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कराई। जांच के दौरान पाया गया कि परिचालक रोजाना एक से डेढ़ लाख रुपये की आय में गड़बड़ी कर रहे थे।

ई-बसों में रोजाना करीब 11 हजार यात्री सफर करते हैं, जिससे औसतन साढ़े चार लाख रुपये की आय होनी चाहिए थी, लेकिन परिचालकों ने सिर्फ तीन लाख रुपये ही जमा किए।

इस तरह लगातार नगर निगम को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।

जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अलग-अलग रूटों पर 40 फेरों के दौरान परिचालकों ने 667 यात्रियों से किराया

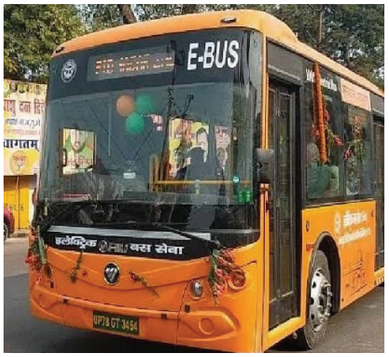

लिया, लेकिन उन्हें टिकट जारी नहीं किया। खासतौर से आईआईटी से रामादेवी और घाटमपुर, बिंदकी व उन्नाव रूट पर सबसे ज्यादा धांधली पाई गई। परिचालकों की इस हरकत से न केवल निगम को नुकसान हुआ बल्कि यात्रियों को भी ठगा गया।

मुख्य संचालन अधिकारी रजनीश राजपूत ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सेवा प्रदाता एजेंसी एसएस इंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी चिह्नित परिचालकों को तुरंत रूट से हटाया जाए और उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। साथ ही भविष्य में इस तरह की धांधली न हो, इसके लिए एजेंसी पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां ई-बस सेवा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। निगम अब डिजिटल टिकटिंग और सख्त निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करेगा ताकि यात्रियों को पारदर्शी सेवा मिल सके। वहीं, यात्रियों ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई और कहा कि जिस सुविधा के लिए किराया लिया जा रहा है, उसका सही लाभ मिलना चाहिए।

नगर निगम और (केसीटीएसएल) ने दावा किया है कि आगे किसी भी हाल में राजस्व से खिलवाड़ और यात्रियों से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऑपरेशन महाकालः व्हाट्सअप पर आई 154 गोपनीय शिकायतें

पहले चरण में व्हाट्सएप से आईं कुल 154 शिकायतें

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। ऑपरेशन महाकाल का पहला चरण सोमवार को समाप्त हो गया है। इस दौरान कुल 154 शिकायतें आई हैं। यह ऑपरेशन भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए बना है लेकिन शहर के कुछ भूमाफिया और अपराधियों ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। अपराधियों की ओर से कल्याणपुर, नौबस्ता, कर्नलगंज समेत अन्य सर्किल में सात शिकायतें आई हैं। इनका आकलन करने के लिए डीसीपी के निर्देशन में एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामला गंभीर मिलने पर उसे सीधे एसआईटी के पास जांच के लिए भेजा जा सकता है।

कमिश्नरी पुलिस की ओर से भूमाफिया और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पांच अगस्त से ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत हुई थी। इसमें कूटरचित तरीके से जमीन व संपत्ति पर कब्जे, रंगदारी मांगने, वसूली और फर्जी मामलों में एफआईआर कराने के मामले शामिल हैं। शिकायतों के लिए थाना स्तर, एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी कार्यालय के साथ ऑपरेशन महाकाल के व्हाट्सएप नंबर पर विकल्प रखा गया। पुलिस की ओर से ऑपरेशन महाकाल के लिए 18 अगस्त तक पहला चरण रखा गया था। वॉट्सएप पर सोमवार तक 154 शिकायतें आई हैं। सबसे अधिक शिकायतें 47 दक्षिण क्षेत्र की हैं।

मंगलवार से दूसरा चरण चालू हो गया है। इसमें 10 दिन तक शिकायतों का आकलन किया जाएगा। एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि भूमाफिया और अपराधी किस्म के लोगों की ओर से आईं शिकायतों को विशेष रूप से दिखाया जा रहा है। उनके दूसरे पक्ष को भी बयान के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा।

कमिश्नरी पुलिस के स्टाफ ऑफिसर राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि ऑपरेशन महाकाल के पहले चरण में कई व्यक्तिगत शिकायतें भी आई हैं। इनका आकलन किया जा रहा है। सभी शिकायतों की जांच डीसीपी के निर्देशन में गठित कमेटी करेगी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार के निर्देशन में गठित कमेटी को देगी। वहां से कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

एलआईयू भी कर रहा जांच

एलआईयू के स्टाफ को भी भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं। वह अपराधियों की चल व अचल संपत्तियों का आकलन कर रहा है। अपराधियों के पिछले कई वर्षों में लिए गए प्लॉट, कार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। अब तक 20 से 25 लोगों की जांच चल रही है। एलआईयू की ओर से भी रिपोर्ट डीसीपी को भेजी जाएगी।

एसआईटी को भेजीं तीन शिकायतें

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सोमवार और मंगलवार को जमीन संबंधी तीन शिकायतें आई थीं जिसमें कुछ दबंग, भूमाफिया और उसके साथियों का नाम था। अधिकारियों ने उन शिकायतों को जांच के लिए एसआईटी के पास भेज दिया। अब एसआईटी इन मामलों की जांच करेगी।

कारोबारी को बयान के लिए बुलाया

एसआईटी की टीम ने साकेतनगर की महिला कारोबारी को बयान के लिए बुलाया है। महिला कारोबारी ने 15 साल पुराने मामले में

अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ रंगदारी मांगने, मारपीट करने, धमकी देने, चरित्र हनन करने का आरोप लगाकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उनके निर्देश पर जांच एसआईटी को भेज दी गई।

दूसरे चरण में अलग-अलग दो शिकायतों पर फोकस

ऑपरेशन महाकाल के दूसरे चरण में एक ही आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतों को देखा जाएगा। अगर वह अलग-अलग क्षेत्रों से आएंगी और उसमें पेशबंदी जैसा कुछ नहीं लगेगा तो उस पर जांच जारी रहेगी। इस कार्य में वादी और आरोपियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी।

पुलिस की चूक से छूटा साइबर गिरोह का सरगना पुलकित

निर्मल तिवारी स्वराज इंडिया

कानपुर। जमाना बदल रहा है लेकिन शायद अभी भी पुलिस अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। अपराधी वही हैं जो नियम कानून का उल्लंघन करें और आदर्श पुलिस वह है जो तमाम नियम, कानून, बंदिशों, गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए। याद यह भी रखना है कि तमाम तकनीक मात्रा पुलिस के लिए ही सहायक नहीं है बल्कि तकनीक का फायदा अपराधी तंत्र भी उठाता है। ध्यान में यह भी रखना है कि मामला जितना बड़ा होगा उसमें सावधानी और सजगता की भी उतनी ही दरकार रहती है। अन्यथा की स्थिति में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कानपुर साईबर क्राइम पुलिस के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ है। डीसीपी क्राइम ने जिसे साईबर गिरोह का सरगना बताया वो आरोपी लिखापढ़ी में तकनीकी खामी के चलते 96 घंटे के बाद ही विवेचक द्वारा न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने पर बल नहीं दिए जाने के चलते मात्र 20 हजार की पीबी और अंडरटेकिंग दाखिल कर शान के साथ रिहा हो गया।

- डीसीपी क्राइम ने 14 अगस्त को जिस साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर करोड़ों रुपयों का लेनदेन करने वाले सरगना पुलकित द्विवेदी को अरेस्ट किया वह मात्र बीस हजार की पीबी पर रिहा
- डीसीपी क्राइम ने पुलकित को बताया था संगठित साइबर अपराधी गैंग का सरगना
- कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न की भी आई थी बात सामने
- विवेचक ने पहले अभियुक्त द्वारा जांच में असहयोग के चलते गिरफ्तारी को बताया था न्यायोचित
- बाद में विवेचक ने नहीं दिया न्यायिक अभिरक्षा पर बल

खास खबर

14 अगस्त को डीसीपी क्राइम एस एम कासिम आबिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलकित द्विवेदी की गिरफ्तारी की जानकारी दी और खुलासा किया कि पुलकित द्विवेदी कॉर्पोरेट की तर्ज पर संगठित तरीके से कॉल सेंटर बनाकर विदेश में प्रोडक्ट बिकवाने का झांसा देकर साईबर ठगी कर रहा है। डीसीपी क्राइम ने यह भी बताया कि पुलकित द्विवेदी न केवल भारत बल्कि कई अन्य देशों के लोगों को भी अपने ठगी के जाल में फंसा चुका है। उस पर कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न करने का भी आरोप सामने आया। डीसीपी क्राइम ने यह भी बताया कि अपराधी पुलकित द्विवेदी के 6 बैंक खातों में जमा साढ़े चार करोड़ रुपए सीज कर दिए गए हैं। कार्य स्थल पर मिले 57 मोबाइल फोन, 78 डेस्क टॉप, 11 लैपटॉप आदि सामग्री को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साईबर क्राइम थाने में अपराध संख्या 47 सन 25 अंतर्गत धारा 318(4), 319(2)और 66 डी आईटी एक्ट दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पुलकित की पत्नी और एक अन्य को फरार बताया गया।

रिमांड न्यायालय पहुंचते ही आया कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र

14 अगस्त को एक ओर डीसीपी क्राइम पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे तो दूसरी ओर अदालत में रिमांड पहुंचते ही पुलकित द्विवेदी के अधिवक्ता पियूष शुक्ला ने गिरफ्तारी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न करने के आधार पर रिमांड कैंसिल किए जाने की प्रार्थना कर दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस लिखा पढ़ी में अभियुक्त की गिरफ्तारी 13 अगस्त को समय 19:45 पर, तिवारी होटल के पास, थाना रेल बाजार से प्रदर्शित की गई थी। वहीं इसके उलट पुलकित द्विवेदी के अधिवक्ता ने साक्ष्य देते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी 12 अगस्त शाम 5 बजे के आसपास सिग्नेचर ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, विकास नगर स्थित घर से की गई। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश नहीं किया गया। साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज को टाइम स्टैंप सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तकनीकी खामी को देखते हुए अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सप्तम, अखिलेश पटेल ने रिमांड पर सुनवाई के लिए अगले कार्य दिवस की तारीख लगा दी। तीन दिनों के अवकाश के चलते अगले कार्य दिवस 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान विवेचक को भी न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।

लिखापढ़ी में फंसी पुलिस बैकफुट पर आई

18 अगस्त को पहले तो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी को जायज बताने की दलीलें दी गईं। लेकिन जब एहसास हुआ कि गिरफ्तारी को लेकर अभियुक्त पक्ष के पास ठोस सबूत हैं तो बात जांच में सहयोग देने पर रिमांड पर बल न देने तक पहुंच गई। अभियुक्त के अधिवक्ता ने भी अपने प्रार्थना पत्र को नाट प्रेस कर दिया। नतीजा पुलिस द्वारा अभियुक्त पुलकित द्विवेदी की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की मांग न करने पर अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सप्तम, अखिलेश पटेल ने अभियुक्त को बीस हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र और जांच में पूर्णतः सहयोग की अंडरटेकिंग दाखिल करने पर रिहाई का आदेश कर दिया। अदालती औपचारिकताएं पूरी करने पर आरोपी पुलकित द्विवेदी की रिहाई भी हो गई।

नाट प्रेस किए गए अभियुक्त के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र की मुख्य बातें

आवेदक की गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहान कुमार मामले में निर्धारित कानून के पूर्णतः विरुद्ध है, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं

1- गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने की आवश्यकता एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक शर्त है।

2- गिरफ्तारी के आधार बताने का तरीका सार्थक होना चाहिए ताकि अनुच्छेद 22(1) में निहित वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

3- यदि गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी जाती है, तो यह अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

4- गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार की सूचना देने की अपेक्षा का अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी अमान्य हो जाती है, तथा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक क्षण के लिए भी हिरासत में नहीं रह सकता।

5- यदि पुलिस केवल डायरी प्रविष्टि के आधार पर गिरफ्तारी के आधारों के संचार को साबित करना चाहती है, तो ऐसे आधारों को विशेष रूप से डायरी प्रविष्टि या किसी अन्य समकालीन दस्तावेज़ में शामिल किया जाना चाहिए, और उनके संचार से पहले मौजूद होना चाहिए।

6- जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह दलील देता है कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे, तो अनुच्छेद 22(1) के अनुपालन को साबित करने का भार पुलिस प्राधिकारियों पर होता है।

7- गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को गिरफ्तारी के आधार भी बताए जाने चाहिए ताकि वे यथाशीघ्र उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकें, अन्यथा गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है।

कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जहां एक तरफ शहर में संगठित अपराधिक समूहों पर करारा प्रहार कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ पुख्ता जांच और तकनीक के प्रयोग से ठोस सबूत जुटाकर प्रभावशाली जांच पर जोर दे रहे हैं।

अपराधों की विवेचना के वैज्ञानिक अन्वेषण की बात कर रहे हैं, वहीं कानपुर नगर के साईबर क्राइम थाने की कार्यशैली पुलिस की कार्य कुशलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। यह लापरवाही एक ऐसे मामले में सामने आई है जिसका खुलासा डीसीपी क्राइम एस एम कासिम आबिदी ने स्वयं किया था और जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साईबर अपराध करने वाले गिरोह के पर्दाफाश का दावा किया गया था।

प्रश्न यह भी उठ रहा है कि साईबर अपराध में लिप्त शातिर अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी उठाने वाला थाना यदि इतनी गैरजिम्मेदाराना तरीके से लिखा पढ़ी करेगा, और उसका लाभ आरोपी को मिलेगा तो साईबर अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? एक प्रश्न तो उन अधिकारियों की कार्यशैली पर भी उठना लाजिमी है जिनके पर्यवेक्षण में इस प्रकरण की जांच हो रही है।

जनपद में 54 नए उर्वरक केंद्र
बिल्हौर को मिलेंगे 15 उपकेंद्र

डीएम की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, बिल्हौर,घाटमपुर और सदर तहसील में नए विक्रय केंद्र शुरू होंगे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। किसानों को समय पर खाद न मिलने से पिछले एक सप्ताह से जिलेभर में हालात बिगड़े हुए थे। कई जगह किसानों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। हालात को देखते हुए अब प्रशासन ने बड़ी राहत दी है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को समीक्षा बैठक में घोषणा की कि जिले में 54 नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। इनमें 15 बिल्हौर, 31 सदर और आठ घाटमपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होंगे। फिलहाल जिले में 78 केंद्र कार्यरत हैं, जबकि नए केंद्र शुरू होने के बाद कुल संख्या बढ़कर 132 हो जाएगी।

नए केंद्र खुलने से किसानों को अब खाद के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी केंद्रों पर विभागीय कर्मचारी तैनात रहेंगे और स्थानीय किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि खाद की कालाबाजारी और ओवररेटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे

कृषि अधिकारी पर नाराज़गी : समीक्षा बैठक में जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह बिना सूचना अनुपस्थित रहे। इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि किसानों से जुड़े काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : उपनिदेशक कृषि आर.एस. वर्मा ने बताया कि जनपद में यूरिया 9726 एमटी, डीएपी 7729 एमटी, एनपीके 8239 एमटी, एमओपी 501 एमटी और सुपर फॉस्फेट 2039 एमटी का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई खेप आते ही नवसृजित केंद्रों पर भी खाद उपलब्ध करा दी जाएगी।

» किसानों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता था, हालात को देखते हुए प्रशासन ने दी बड़ी राहत

» डीएम के निर्देश-सभी केंद्रों पर विभागीय कर्मचारी तैनात रहेंगे और स्थानीय किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी

रावतपुर में ट्रैक पार करते वक्त हादसा
जेई की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। रावतपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक पार करते समय विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर रविंद्र मौर्य ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले रविंद्र मौर्य पिछले दिनों तक बिल्हौर विद्युत उपकेंद्र में तैनात थे। हाल ही में उनका स्थानांतरण मेहरबानपुरवा उपकेंद्र में हुआ था। वह प्रतिदिन बिल्हौर से ड्यूटी के लिए आते-जाते थे। बुधवार सुबह रावतपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद वह ट्रैक पार कर रहे थे। तभी दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आकर उनकी जान चली गई। जेई रविंद्र मौर्य अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ बिल्हौर के त्रिवेणीगंज बाजार में रहते थे। उनकी मौत की खबर लगते ही घर में कोहराम मच गया। सहकर्मी भी दुर्घटना से गहरे सदमे में हैं।

जेई रविंद्र मौर्या की फाइल फोटो।

दीवार ढही, महिला मलबे में दबकर घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अरौल थाना क्षेत्र के पिहानी गांव में बुधवार को एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि इदरीसा (42) पत्नी इस्तियाक घर में सब्जी छील रही थीं, तभी करीब सात फुट ऊंची दीवार ढह गई और उसकी चपेट में आ गई। हादसे में इदरीसा मलबे तले दब गईं। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में कच्चे और जर्जर मकान जानलेवा साबित हो रहे हैं।

लापरवाही पांच गोवंशों की मौत पर बवाल, शीघ्र कार्रवाई ना होने पर अधिकारीयों को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

गोशाला में अव्यवस्था पर विहिप-बजरंग दल का हंगामा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर ब्लॉक अंतर्गत कमालपुर ग्राम पंचायत के खोदन गांव स्थित गोशाला में इलाज व देखभाल के अभाव में पांच गोवंशों की मौत से हिंदू संगठनों का आक्रोश उभर आया। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकताओं ने ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गोशाला में लंबे समय से अव्यवस्था बनी हुई है। बीमार गोवंशों को न तो दवा मिल रही है और न ही पर्याप्त चारा उपलब्ध हो रहा, जिसके चलते लगातार मौतें हो रही हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस मामले को पूर्व में भी प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था। एसडीएम को ज्ञापन देकर धरने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आश्वासन के बावजूद हालात जस के तस हैं।

गोशाला में अव्यवस्था पर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के पदाधिकारी से वार्ता करती पुलिस।

» गोशाला में लंबे समय से अव्यवस्था, बीमार गोवंशों को न तो दवा मिल रही है और न ही पर्याप्त चारा उपलब्ध

» भटपुरा रोड पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, पुलिस बल तैनात

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जब ब्लॉक कार्यालय पहुंचे तो गेट बंद मिला। इससे आक्रोशित होकर वे भटपुरा रोड पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ, पूर्व ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, पशु चिकित्सक व चारा आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा।

सम्पादकीय

जेल सुधार में हरियाणा की बदलावकारी पहल

इसमें दो राय नहीं कि जब भी मूल रूप से जेल की अवधारणा का विकास हुआ होगा, तो उसका मकसद भटके लोगों के जीवन में सुधार ही रहा होगा। किसी सभ्य समाज के कायदे-कानून तोड़ने वाले, भटके हुए लोगों को जेल के एकाकी जीवन में आत्ममंथन का समय देने का भी मकसद रहा होगा। साथ ही यह भी अहसास कराना होगा कि समाज से विलग रहने के क्या मायने हैं। वहीं दूसरी ओर जीवन मूल्यों व सामाजिकता का अहसास कराना भी मकसद रहा होगा। दरअसल, भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आधारित नई व्यवस्था छोटे अपराधों के लिए दोषियों को जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का अवसर देती है। ताकि उन्हें अपनी गलती का अहसास हो और उत्तरदायित्व के साथ सामाजिकता का बोध हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा जारी सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश, 2025 की अधिसूचना आपराधिक न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जिसका लक्ष्य दंड देने के बजाय सुधार व बदलाव है। ऐसे समय में जब देश की जेलें कैदियों की निर्धारित संख्या से कहीं अधिक बोझ उठा रही हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या 76 फीसदी से अधिक है, राज्य की यह पहल कम जोखिम वाले अपराधियों के लिये कारावास का सकारात्मक विकल्प प्रदान करती है। निस्संदेह, इस पहल का दायरा व्यापक होने के साथ ही उद्देश्यपूर्ण भी है। यह व्यवस्था कम संगीन अपराधों के लिये दोषियों को पार्कों के रखरखाव, अस्पतालों में मरीजों की सहायता करने, आंगनबाड़ियों में योगदान देने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, स्वच्छ भारत तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों में योगदान के लिये प्रेरित करती है। इस बाबत जारी दिशा-निर्देश किशोरों के लिये भी भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। मसलन, नेशनल कैडिट कोर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सेवा योजना, पर्यावरण परियोजनाएं तथा महिलाओं के लिये प्रसूति वार्ड व शिशु देखभाल केंद्र जैसे सुरक्षित स्थानों पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। निश्चय ही नई व्यवस्था जहां एक ओर अपराधियों को उनके अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करती है, वहीं समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देती है।

दरअसल, हरियाणा मॉडल के तहत की जाने वाली पहल, उसे अन्य राज्यों के प्रयासों से विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे कि दिल्ली में 40 से 240 घंटे की सेवा निर्धारित करने वाली नीति से अलग, इसके परिचालन का विवरण, इसे विश्वसनीय बनाता है। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैग की गई तस्वीरें, वीडियो प्रमाण और प्रगति रिपोर्टिंग सत्यापन इसकी सार्थकता सुनिश्चित करती है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को गौशालाओं और वृद्धाश्रमों में सेवा करने की सजा और जम्मू की एक अदालत द्वारा अपराधियों को स्वास्थ्य केंद्र और पार्क की सफाई करने के लिये बाध्य करने का आदेश यह दर्शाता है कि सामुदायिक सेवा समाज को लाभ पहुंचाने के साथ ही भटके व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नया रूप दे सकती है। निस्संदेह, इस सुधार अभियान को सफल बनाने के लिये सुरक्षा उपाय भी बेहद जरूरी हैं। इस बात में सावधानी बरती जानी चाहिए कि समाज में बार-बार अपराध करने वालों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए। दूसरा, इससे जुड़ी निगरानी पारदर्शी और मजबूत होनी चाहिए। जिसमें सावधानी से निगरानी और चूक करने पर त्वरित दंड की व्यवस्था भी शामिल है। दूसरा उनके कार्य के परिणाम का मूल्यांकन होना चाहिए कि अभियुक्त अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए क्या पीड़ितों को इस तरह की सजा दिए जाने से राहत मिली है। यह भी कि क्या समाज में अपराध की पुनरावृत्ति कम हुई है। यह इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है कि छोटी-मोटी गलतियों को यह सामाजिक ऋण चुकाने के अवसर में बदल देता है। साथ ही कारावास से होने वाले नुकसान को कम करता है।

ट्रंप की पाठशाला में नतमस्तक यूरोपीय नेता

प्रदीप शर्मा

फ्रांसीसी-पोलिश भू-अर्थशास्त्री डैनियल फ्रूबर्ट ने एक्स पर कहा कि 'यूरोपीय संघ ने यूरोप को अर्थहीन बना दिया है।' फ्रुबर्ट ने कहा, 'यूरोपीय नेता बड़ी संख्या में वाशिंगटन पहुंचे। अपनी बात कहने के लिए बेताब। वे साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता के रूप में आए थे, एक ऐसे व्यक्ति के शब्द का इंतज़ार कर रहे थे जिसके पास अब सारे पत्ते हैं।'व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक तस्वीर को जिसने भी देखा, जुगुप्सा से भर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस के सिंहासन पर विराजे हुए। उनके गिर्द यूरोप के प्रमुख नेता इस अंदाज़ में बैठे दिख रहे हैं, गोया पाठशाला चल रही हो। इसे सत्ता का 'शर्मनाक खेल' बताया गया, जिससे वैश्विक एकता के प्रदर्शन पर ग्रहण लग गया है।

ब्रिटिश ऑनलाइन समाचार पत्र, 'द इंडिपेंडेंट' के अनुसार, 'सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा, कि ट्रंप के रेज़ोल्यूट डेस्क के सामने वाली कुर्सियों पर यूरोपीय नेताओं के बैठने की व्यवस्था देखकर ऐसा लगा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति 'अनियंत्रित स्कूली बच्चों' के एक समूह की मेज़बानी कर रहे हों।'

सोमवार को, ट्रंप ने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मेज़बानी की, और फिर यूक्रेन संकट के समाधान के हवाले से व्हाइट हाउस में सात यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में ट्रंप, ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के सर कीर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, फ़िनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन देयर लेयेन शामिल थीं। जर्मन मीडिया के अनुसार, 'यूरोपीय नेता ज़ेलेंस्की के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अर्धवृत्ताकार घेरे में बैठे थे, वो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थे कि ओवल ऑफिस में एक और अपमान न हो, और ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन कायम रहे।'ब्रसेल्स स्थित यूरोपियन पॉलिसी सेंटर में यूरोपीय और वैश्विक मामलों के निदेशक अल्मुट मोलर ने एक ईमेल के ज़रिये रिएक्ट किया, 'यह एक ऐसी बैठक थी, जहां यूरोपीय लोगों को अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखाने का मौका मिला। यूरोप शक्तिहीन नहीं है।' लेकिन ठीक से देखा जाये, तो इसमें यूरोप-अमेरिकी सुप्रीमेसी झलक रही थी। दुनिया को यह बताना था, कि ट्रांस-अटलांटिक मसलों को कोई एशियाई-अफ्रीकी नेता नहीं सुलझाएगा। पीएम मोदी तो जैसे अप्रासंगिक हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। तब ट्रंप, अमेरिकी चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन, शायद उन्होंने तय कर लिया था, कि यूक्रेन की शांतिवार्ता का श्रेय किसी एशियाई नेता को नहीं मिलना चाहिए।

वर्ष 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कीव की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय नेता बन गए। मोदी की कीव यात्रा ने ग्लोबल सुर्खियां बटोरी थी। शांतिदूत के रूप में मोदी की भूमिका, यूरोपीय नेताओं के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। गुज़रे सोमवार को व्हाइट हाउस ने उन प्रमुख यूरोपीय नेताओं से घिरे ट्रंप की तस्वीर पोस्ट करते हुए, इसे 'एक ऐतिहासिक दिन' बताया, और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति 'शांति के राष्ट्रपति' हैं। यह ज़बरदस्ती और बेशर्मी भरा सन्देश है, कि 'पीस प्रेसिडेंट' को 'नोबेल पीस प्राइज़' चाहिए। यह सारा प्रपंच उसी के वास्ते है।

हालांकि, एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ भू-राजनीतिक पर्यवेक्षकों और नेटिज़न्स ने माना कि ट्रंप की मेज के सामने बैठे यूरोपीय नेताओं की यह नई तस्वीर 'शर्मिंदगी और अपमान' के क्षण का संकेत देती है। इस तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए, फ्रांसीसी-पोलिश भू-अर्थशास्त्री डैनियल फूबर्ट ने एक्स पर कहा कि 'यूरोपीय संघ ने यूरोप को अर्थहीन बना दिया है।

परमाणु अस्त्रों को लेकर गैर जिम्मेदार बयानबाजी

परमाणु बम और हम

आनन्द शर्मा

अतीत में परमाणु संपन्न देशों की बयानबाजी संयमपूर्ण रही है। परमाणु ताकत का जिक्र इरादतन संदेशों तक सीमित था जिसने दशकों परमाणु युद्ध से बचाए रखा। लेकिन अब वह गैर-जिम्मेदार हो गई है। बात परमाणु ब्लैकमेल वाली बयानबाजी तक पहुंच...

अतीत में परमाणु संपन्न देशों की बयानबाजी संयमपूर्ण रही है। परमाणु ताकत का जिक्र इरादतन संदेशों तक सीमित था जिसने दशकों परमाणु युद्ध से बचाए रखा। लेकिन अब वह गैर-जिम्मेदार हो गई है। बात परमाणु ब्लैकमेल वाली बयानबाजी तक पहुंच गई है। इस पर दुनिया की चुप्पी तटस्थता नहीं, बल्कि मिलीभगत कही जा सकती है।

परमाणु युग की सदा अपनी एक अलग भाषा रही है। शीत युद्ध के निवारक (डिटेरेंट) और पारस्परिक विनाश सुनिश्चित करने वाले इंतजाम से आगे चलकर, इसको 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारक' और 'उपयोग में पहल नहीं' जैसे सौम्य नाम देने तक, हर वाक्यांश सावधानी से गढ़ा जाता था। व्याकरण अपने आप में संयम का एक औजार बन गया। धारणा ये रही कि इस परमाणु-व्याकरण से अंकुश बनता है और यह उनका उपयोग रोककर रखता है।

परस्पर विरोधियों तक में भी समझ थी कि परमाणु मामलों में, शब्दों में वेग होता है- वह जो सैन्य लामबंदी, डराने या एक भी मिसाइल हिलाए-डुलाए बिना तनाव अथवा टकराव में बढ़ोतरी करने में सक्षम होता है। सार्वजनिक संवाद निवारण के अभिन्न अंग थे; बयान स्पष्टता भरे और नपे-तुले शब्दों में गढ़कर जारी किए जाते क्योंकि कोई एक गैर-जिम्मेदार वाक्यांश सैन्य गतिविधि या बेबात का अलर्ट पैदा कर सकता था। अब वह अनुशासन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। संयम का व्याकरण स्थूल बन गया है। जहां कभी परमाणु ताकत का जिक्र इरादतन संदेशों तक सीमित था, अब वह चुनावी रैलियों, प्रेस वार्ताओं और टेलीविज़न भाषणों में आन घुसा है। परमाणु संदर्भ में इस किस्म की नाटकीय जुमलेबाजी हानि रहित नहीं होती; यह उन्हीं नियमों का उल्लंघन करने जैसा है जिन्होंने दशकों तक दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाए रखा है।चुप्पी की ताकत प्रबल करना - खतरा न केवल उससे है जो कुछ कहा जाता है बल्कि जो अनुत्तरित रह गया, उससे भी है। जब एक मेज़बान देश की चुप्पी संयुक्त राष्ट्र की अनुपस्थिति और अन्य परमाणु ताकतों की उदासीनता मिलकर, किसी परमाणु धमकी को बिना ऐतराज जाने दे,तो वे जवाबदेही दरकिनार और परमाणु मानक कमजोर कर देते हैं।विरोधाभास पर टिका परमाणु निवारक - हथियार पास होना युद्ध रोकने के लिए है न कि युद्ध छेड़ने को। यह विरोधाभास केवल संयम, रुख, सैन्य तैनाती और इनसे बढ़कर, भाषा के जरिये जीवित रहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रणनीतिकार थॉमस शेलिंग ने चेताया था कि निवारण केवल हथियारों तक सीमित नहीं, 'जोखिम के हेरफेर' से भी जुड़ा है। इसलिए, भाषा शस्त्रागार का एक हिस्सा है। गैर-जिम्मेवार तैनाती की तरह, लापरवाह शब्द भी संतुलन खतरनाक रूप से बिगाड़ सकते हैं।हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख, एडमिरल अरुण प्रकाश ने चेताया है कि परमाणु शब्दावली भी परमाणु रुख जितनी ही जोखिम भरी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक भारत की विश्वसनीयता का आधार दोनों ही मामलों में अनुशासित संयम बनाए रखना रहा। परमाणु युग में लापरवाह बयानबाजी को महज घरेलू राजनीति वाली जुमलेबाजी मानकर खारिज करना खतरनाक व गलत आकलन हो सकता है।बंकर से नहीं, खुलेआम - एक स्पष्ट मामला इस गिरावट को दर्शाता है। एक अग्रणी लोकतंत्र की भूमि पर, एक परमाणु-शस्त्र सपंन्न मुल्क का सेनाध्यक्ष ऐलान करता है - 'अगर हमने पाया कि हम डूबने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे'। यह बात उन्होंने किसी बंकर में फुसफुसाकर नहीं कही, बल्कि घरेलू और वैश्विक श्रोताओं के सामने सरेआम माइक्रोफोन में बोली। मेजबान देश ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी साध ली। सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों ने आंखें फेर लीं। यह संकेत देता है कि कूटनीतिक कीमत चुकाए बिना परमाणु ब्लैकमेल की जा सकती है।

अवैध निर्माण पर गिरी गाजः शक्तिदीप पैलेस सील

» आवासीय नक्शे पर बना वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, जांच में धांधली उजागर

» केडीए ने किया ध्वस्तीकरण का आदेश, अभियंताओं पर भी गिरेगी गाज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वसूली करने और लोगों से वसूलखोरी के आरोपों में जेल में बंद अखिलेश दुबे की संपत्तियों पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को केडीए की प्रवर्तन टीम ने जूहीकला स्थित शक्तिदीप पैलेस को सील कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच जिस भूखंड पर यह इमारत खड़ी की गई, उसका नक्शा आवासीय प्रयोजन के लिए पास हुआ था। इसके बावजूद यहां पर भव्य वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया और लंबे समय से अवैध रूप से गेस्ट हाउस एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं।

एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार की अगुवाई में की गई जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि शक्तिदीप पैलेस के लिए कराई गई रजिस्ट्री कूटरचित अभिलेखों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराई गई थी। इस मामले में पहले भी थाना कोतवाली में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो इस समय अदालत में विचाराधीन है। अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद केडीए ने 14 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। बुधवार को उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और शक्तिदीप पैलेस को सील कर दिया गया।कम्यूनिटी सेंटर से लेकर गेस्ट हाउस तक अवैध निर्माण की भरमार

केडीए की कार्रवाई केवल शक्तिदीप पैलेस तक सीमित नहीं है। अधिकारियों के अनुसार जूहीकला और सिविल लाइंस में भी कई निर्माण नक्शे के विपरीत पाए गए हैं। जूहीकला में भूखंड संख्या 152 पर कम्यूनिटी सेंटर स्वीकृत था, लेकिन यहां पर जी+3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। इसके अलावा भूखंड संख्या 558/1 में भी रेजिडेंशियल के लिए आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण सामने आया है। इतना ही नहीं, सिविल लाइंस परमट क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की 4028 वर्गगज भूमि पर बिना नक्शा स्वीकृति के ऑफिस और गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है। इन सभी अवैध निर्माणों पर भी ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली गई है।केडीए उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि जिन निर्माणों ने नियमों को ताक पर रखकर आवासीय नक्शे की आड़ में व्यावसायिक रूप धारण किया है, उन पर कार्रवाई हर हाल में की जाएगी। इसके साथ ही, निर्माण के समय पर तैनात रहे अवर अभियंता और सुपरवाइजर भी जांच के दायरे में हैं। उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए नामों की सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर उस वक्त की लापरवाही न होती तो आज इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण खड़े ही न हो पाते।

कानपुर लॉयर्स चुनाव में 'वाद हारा' आशीर्वाद जीता

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। तमाम उहापोह,बहस, गर्मागर्मी, गहमागहमी, वातावरण के तापमान को बढ़ाता घटनाक्रम अंततः समझाइश और मतदाताओं के बहुमत के आगे शीश नमन की मुद्रा तक पहुंचा। अध्यक्ष पद पर मात्र 15 वोटों के अंतर से जीत हुई तो महामंत्री पद पर 311 वोट की आसान जीत दर्ज की गई। कानपुर लॉयर्स चुनाव का रंग इस बार अलहदा और आए परिणाम अनोखे हैं। परिणाम अप्रत्याशित से ज्यादा ऐतिहासिक हैं। क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म के सभी वादों से इतर अध्यक्ष और महामंत्री की जीत का सबसे बड़ा कारण आशीर्वाद है। दोनों ही पदों पर चुने गए चेहरों में समानता है सादगी और जुझारू तेवरों की। जिस प्रकार के ऐतिहासिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समेटे कालचक्र में यह चुनाव हुए, उस पृष्ठभूमि में अधिवक्ता समाज को इन्हीं हाथों में, इन्हीं के नेतृत्व में अधिवक्ता स्वाभिमान सुरक्षित लगा।

» निर्वाचन में अध्यक्ष दिनेश वर्मा और महामंत्री राजीव यादव को ऐतिहासिक जीत

» ब्राम्हण बाहुल्य कानपुर कचहरी से अरसे बाद ब्राम्हणों का वर्चस्व खत्म

अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा

महामंत्री राजीव यादव

पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं वह नैराश्य का भाव भी प्रभावी रहा? जिसे यह प्रबुद्ध समाज अपनी वाकपटुता और तर्कशीलता से कुशलता पूर्वक पार्श्व में ढकेलता तो रहता है लेकिन अधिवक्ताओं की इस अंतर्मन की पीड़ा को यह दोनों ही न केवल जानते थे बल्कि अपने संबोधन में विभिन्न रूपकों के जरिए इसे दूर करने का दम भी भरते थे।

अध्यक्ष पद पर चुने गए दिनेश चंद्र वर्मा

दिनेश चंद्र वर्मा 15 वर्ष पूर्व बार एसोसिएशन के मंत्री पद की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। वर्ष 2010-11 में बार एसोसिएशन में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कानपुर कचहरी ने एक बड़ा और सफल आंदोलन देखा था। उस समय दुर्भाग्यपूर्ण लाठी चार्ज में तत्कालीन महामंत्री नरेश त्रिपाठी सहित अनेक अधिवक्ता घायल हुए थे। महामंत्री नरेश त्रिपाठी कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे, जिसके चलते आंदोलन के शुरुआती चरण में महामंत्री का दायित्व भी इन्हीं के पास था। इनके जुझारू तेवरों और सौम्य स्वभाव से साथी अधिवक्ता भली-भांति परिचित थे। इस चुनाव में उनके सहयोगियों में सभी जाति के अधिवक्ता प्रभावी रूप से उनके साथ थे। पहले ही प्रयास में अध्यक्ष पद पर मिली जीत अधिवक्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है।

तीसरे प्रयास में महामंत्री बने राजीव यादव

कानपुर लॉयर्स चुनाव में शुरुआत से ही राजीव यादव का नाम चर्चा में रहा। वह पिछली बार के रनर प्रत्याशी थे और यह उनका तीसरा प्रयास था। राजीव यादव भी अधिवक्ता हितों को लेकर अपने बेबाक बोल और सदैव सभी के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। जुझारू तेवर और सादगी भरा अंदाज उन्हें अधिवक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। किसी भी चुनाव में सहानुभूति फैक्टर बहुत प्रभावी माना जाता है, जो इस बार राजीव यादव के पक्ष में था? निर्विवाद और बेदाग छवि ने उनकी जीत की राह को और आसान कर दिया।

मिथक टूटे वाद परे हटे

लायर्स चुनाव परिणाम बताते हैं इस बार परंपराएं बदलीं, जातीय समीकरण बदले हैं ,जो मानसिकता में परिवर्तन की ओर भी इशारा करते हैं। मुद्दा विहीन चुनाव की बात करने वाले समझ पाएं या ना समझ पाएं, इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से एक मुद्दा सबसे बड़ा था अधिवक्ता स्वाभिमान। प्रबुद्ध वर्ग का यह चुनाव यह भी बताता है कि इस वर्ग में जातीय समीकरण उतना मायने नहीं रखता?। परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता प्रमेन्द्र साहू ने लायर्स चुनाव में पीडीए जैसी किसी अवधारणा को खारिज करते हुए तर्क दिया यदि अधिवक्ताओं ने जातीय आधार पर वोट किया होता तो राजीव यादव को कम से कम 2400 वोट तो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राकेश सचान और दिनेश चंद्र वर्मा के वोटों को जोड़ा जाए तो योग 2500 से अधिक आता है। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने कहा कि इस जीत को किसी राजनीतिक नारे में फिट करने वालों का आकलन सतही है। दोनों ही पदों पर जीते प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने वाले सभी जाति वर्ग के लोग थे। वो तर्क देते हैं चुनाव अगर जाति आधारित होता तो एक ही वर्ग के दो प्रत्याशियों के बीच अध्यक्ष पद पर इतने नजदीकी मुकाबले में तीसरे को विजयी होना चाहिए था।

तर्क कुछ भी दिया जाए, फार्मूला कोई भी गढ़ा जाए लेकिन लायर्स चुनाव के परिणामों से तस्वीर तो बदली है। इस बार दो शीर्ष पदों में से किसी एक पर भी ब्राह्मण नहीं है। इसका कारण वाद हो या आशीर्वाद, लेकिन परिणाम एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न करते हैं। यह नए चलन की शुरुआत है या मात्र अपवाद।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया

» 2शिविर का आयोजन अवध स्मृति संस्थान उत्तर प्रदेश एवं गुरु तेग बहादुर अस्पताल के संयुक्त प्रयास हुआ

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर गुरुवार को एल्डर्स डे केयर सेंटर, तुलसी उपवन (मोतीझील) में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच कराई।

शिविर का आयोजन अवध स्मृति संस्थान उत्तर प्रदेश एवं गुरु तेग बहादुर अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रवीण कुमार शुक्ल और डॉ. दीपक श्रीवास्तव ने किया। सहयोगी संस्थाओं में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर, आश्रय, पेंशनर समाज तथा उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल प्रमुख रहे। वरिष्ठ नागरिकों की ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बोन मैरो डेंसिटी, ईसीजी, ऑडियोमेट्री सहित विभिन्न जांचें की गईं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम में डॉ. अनिल जैन, डॉ. वी.के. मिश्रा, डॉ. संजय रस्तोगी, डॉ. नंदिनी रस्तोगी, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. नीरज वरियानी, डॉ. अवध दुबे, डॉ. गौरव दुबे सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन दिया।वरिष्ठ नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और आयोजकों को धन्यवाद दिया। आयोजकों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे।कार्यक्रम में प्रवीण कुमार शुक्ल, डॉ. दीपक श्रीवास्तव, जितेन्द्र शंकर अवस्थी, शरद शुक्ल, पवन शुक्ल, तरुण मेहरोत्रा, अनुपम मेहरोत्रा, शरद गुप्ता, दिनेश भावनानी, आशुतोष ओमर, अर्जित गुप्ता, सौरभ पाल, गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, संतोष चौधरी, नरेंद्र यादव, तरुण दिवाकर, सर्वोत्तम तिवारी आदि मौजूद रहे।

बंद फैक्ट्री में टैंक से मिला अज्ञात शव, हत्या की जताई आशंका

» रनियां थाना क्षेत्र के चिटिकपुर गांव में मचा हड़कंप

» फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, पुलिस ने सभी पहलुओं पर शुरू की छानबीन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रनियां थाना क्षेत्र के चिटिकपुर गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद पड़ी सरिया फैक्ट्री के गहरे टैंक से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ।

ग्रामीणों ने फैक्ट्री परिसर में शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल ने पुलिस बल के साथ जांच शुरू की। बाद में सदर सीओ संजय वर्मा और इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया।

मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष आंकी गई है। उसने भूरे रंग की पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला,

जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है।

शिनाख्त और मौत के कारण पर जांच जारी

सीओ सदर संजय वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है और मौत के कारणों की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्पष्ट होगी।

सरकारी लापरवाही का नजारा

बिना नंबर सड़क पर दौड़ती कैटल कैचर

» सरकारी गाड़ी पर नहीं नियमों का शिकंजा

» अधिकारियों ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले के मैथा ब्लॉक में शासन-प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आई है। यहां आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए खरीदी गई कैटल कैचर वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही सड़कों पर दौड़ रही है।

यह न सिर्फ नियमों का खुला उल्लंघन है बल्कि जिम्मेदार अफसरों की मनमानी का जीता-जागता उदाहरण भी है। हैरानी की

बात है कि परिवहन विभाग, जो आए दिन निजी वाहनों पर कार्रवाई करता है, वह सरकारी विभाग की इस बड़ी चूक पर चुप्पी साधे बैठा है। सवाल उठता है कि जब शासन की गाड़ियां ही बिना कागजात के चलेंगी तो फिर आम जनता से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जाएगी।

विकास खंड मैथा में कई वर्ष पहले क्षेत्र पंचायत निधि से यह कैटल कैचर खरीदी गई थी। लेकिन आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। वाहन में स्थायी चालक तक तैनात नहीं है। अस्थायी चालकों के भरोसे आवारा पशुओं को पकड़ने का काम कराया जा रहा है। इससे न सिर्फ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है बल्कि जिम्मेदारी तय न होने की वजह से किसी भी हादसे का ठीकरा आम जनता पर फोड़ा जा सकता है। इस गंभीर मामले पर जब खंड विकास अधिकारी संजू सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। उनका जवाब इस बात की तस्दीक करता है कि सरकारी विभागों में कितनी बड़ी लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

गौशालाओं में भूख और गंदगी से तड़प रहे गोवंश

रसूलाबाद की समस्तपुर न्योराज गौशाला में हालात बदतर,अफसरों की अनदेखी से बीमारियों की चपेट में आ रहे जानवर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सरकार जहां आवारा गोवंश को गौशालाओं में सुरक्षित रखकर पर्याप्त आहार और देखभाल की बात करती है, वहीं हकीकत बिल्कुल उलट है।

रसूलाबाद क्षेत्र की कई गौशालाएं गोवंश के लिए यातनागृह बन चुकी हैं। समस्तपुर न्योराज गौशाला में 96 से अधिक गोवंश गंदगी और कीचड़ में रहने को मजबूर हैं। नांदे खाली पड़ी हैं, समय पर भूसा और हरा चारा नहीं मिलता। देखभाल के नाम पर सिर्फ दो-तीन केयरटेकर तैनात हैं, जो सफाई और पशुओं की देखभाल के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं। नतीजतन गोवंश बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

गौशाला बनी कब्रगाह, बढ़ा खुरपका का खतरा

बरसाती कीचड़ और बदइंतजामी से गौशाला कब्रगाह में तब्दील हो गई है। गोवंश कीचड़ और गंदगी के बीच बैठने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि जानवर न तो चैन से बैठ पा रहे हैं और न ही भोजन पा रहे हैं। कीचड़ की वजह से खुरपका जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं चारा लाने वाले कर्मचारियों को भी आए दिन गिरने और चोट लगने का डर बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजों पर व्यवस्थाएं दिखाकर खानापूर्ति कर रहे हैं, जबकि जमीन पर हालात भयावह हैं।खंड विकास अधिकारी रसूलाबाद विपुल चौहान ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जल्द ही स्थिति की जांच कराई जाएगी और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फर्जी डिग्री पर बनी सहायक अध्यापिका, सेवाएं समाप्त एफआईआर के आदेश

» शिक्षा निदेशक ने दिए सख्त निर्देश, भू-राजस्व में होगी रिकवरी

» कानपुर देहात के राजकीय बालिका हाईस्कूल पुलंदर का मामला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सरकारी नौकरी में फर्जी कागजात का सहारा लेना अब भारी पड़ने लगा है। कानपुर देहात के विकासखंड मलासा स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल पुलंदर में तैनात सहायक अध्यापिका नूतन सिंह की नौकरी फर्जी अभिलेख पकड़े जाने पर समाप्त कर दी गई है।

यही नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और राजस्व के तहत रिकवरी कराने के निर्देश भी दे दिए हैं।दरअसल, वर्ष 2014 में एलटी ग्रेड में रिक्त पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें बनारस निवासी नूतन सिंह का चयन अंग्रेजी विषय में हुआ।

बाद में 2021 में उनका स्थानांतरण कानपुर देहात के राजकीय बालिका हाईस्कूल पुलंदर में कर दिया गया था। तब से वह यहां कार्यरत थीं। इस बीच, शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने चयनित शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया तो नूतन सिंह के अंकपत्र और प्रमाणपत्र फर्जी व कूटरचित पाए गए।

शिक्षा विभाग में हड़कंप, अब होगी रिकवरी

शिक्षा निदेशक द्वारा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी होते ही डीआईओएस ब्रजभूषण चौधरी ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि नूतन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही उनकी नौकरी के दौरान मिली वेतन राशि की वसूली भी भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

मूसानगर थानाध्यक्ष कालीचरन का कहना है कि अभी तक उन्हें इस मामले से जुड़ा कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। हालांकि, विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस स्तर पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा, सात शिक्षक बर्खास्त

» दो शिक्षक काजी बेहटा हाई स्कूल के

» वेतन वसूली और मुकदमा दर्ज करने के आदेश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

निंदूरा (बाराबंकी)। विकासखंड निंदूरा के शिक्षा विभाग में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों का बड़ा मामला उजागर हुआ है। शासन स्तर पर हुई जांच में सात शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।

बर्खास्त शिक्षकों में राजकीय हाई स्कूल काजी बेहटा के दो शिक्षक भी शामिल हैं। इनमें अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक अतुल प्रकाश वर्मा और गणित व विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक अंकित वर्मा हैं।

शासन ने जिला

विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को निर्देश दिए हैं कि अब तक इन शिक्षकों को दिए गए वेतन की वसूली की जाए।

साथ ही संबंधित थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शिक्षा विभाग में हड़कंप

इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

अधिकारियों का कहना है कि फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी पाने वाले किसी भी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी जांच जारी रहेगी।

यूपी की अफसरशाही में बड़े बदलाव के संकेत

» कई आईएएस अफसरों के तबादले संभावित

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर तबादलों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसे आज देर शाम तक जारी किया जा सकता है।

सूत्र बताते हैं कि इस सूची में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। इनमें एम. देवराज, पार्थ सारथी सेन शर्मा, आशीष गोयल, अनुराग श्रीवास्तव, अमृत अभिजात और अमित घोष

जैसे प्रमुख अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। इनके अलावा भी कई अन्य अफसरों के तबादले की सुगबुगाहट है।

अधिकारी स्तर पर इस संभावित फेरबदल को प्रशासनिक कामकाज को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूची जारी होने के बाद जिलों से लेकर सचिवालय तक कई अहम पदों पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

अयोध्या के मुख्य अभियंता बिजली पर गबन के आरोप

» जांच की मांग, विभाग में खलबली

» रुदौली विधायक रामचन्द्र यादव ने सीएम को भेजा पत्र

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया पर एक करोड़ रुपये के गबन का मामला गरमा गया है। रुदौली विधायक रामचन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मामले की नए सिरे से जांच कराने, रकम की वसूली और दाण्डिक कार्यवाही की मांग की है।

शिकायत में आरोप है कि चौरसिया के नानपारा, कैसरगंज और भिनगा में तैनाती के दौरान हुए वित्तीय गबन में

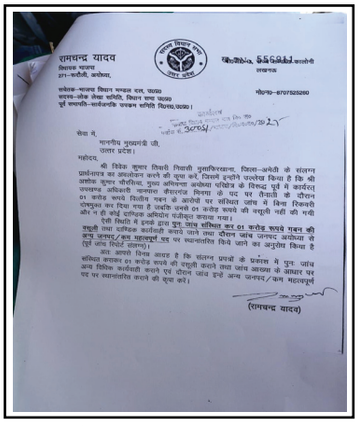

पिछली जांच में उन्हें बिना रिकवरी दोषमुक्त कर दिया गया था। विधायक ने कहा कि जांच दोबारा हो और इस दौरान अभियंता को अयोध्या से हटाकर कम महत्वपूर्ण पद पर भेजा जाए।

पत्र के बाद विभागीय गलियारों में खलबली मच गई है और माना जा रहा है कि मुख्य अभियंता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दुकान में घुसे नकाबपोश, काउंटर तोड़कर 1 लाख रुपये ले उड़े

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

निंदूरा (बाराबंकी)।थाना क्षेत्र निंदूरा में दिनदहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया।

बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने रीवां सींवा में स्थित वर्मा ट्रेडर्स गिट्टी–मौरंग की दुकान पर धावा बोला और काउंटर की दराज तोड़कर लगभग 1 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

ग्राम पिपरसंड निवासी दुकानदार पंकज वर्मा ने बताया कि दो युवक सीमेंट लेने के बहाने दुकान पर आए थे।

इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने काउंटर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया और भाग निकले।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुकान की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है।

अयोध्या में फिल्मी रामलीला पर बवाल, विरोध हुआ तेज़

» ग्लैमर की आड़ में आस्था पर वार स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा विरोध

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या की रामलीला, जो कभी सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव का प्रतीक थी, अब विवादों के भंवर में फंस चुकी है। फिल्मी कलाकारों द्वारा किए जा रहे आयोजन पर हिंदू महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि यह न केवल अमर्यादित और अशास्त्रीय है, बल्कि स्थानीय कलाकारों की घोर उपेक्षा और सरकारी धन के दुरुपयोग का भी मामला है।

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कहा की पवित्र नगरी में ग्लैमर के नाम पर रामलीला का भौंडा प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्मी डायलॉग और अशोभनीय अभिनय से आस्था का अपमान हो रहा है। दूरदर्शन पर ऐसे आयोजनों का प्रसारण रोकना चाहिए।

सवाल जो गूंज रहे है

- क्या अयोध्या की मर्यादा पर ग्लैमर का रंग चढ़ाया जा रहा है?
- क्या सरकारी धन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में लगाया जा रहा है?
- क्या स्थानीय कलाकारों का हक छिनकर सितारों को दिया जा रहा है?

अयोध्या और आसपास के सैकड़ों कलाकारों को दरकिनार कर बॉलीवुड कलाकारों को बुलाया जा रहा है। उनकी फीस करोड़ों में, जबकि स्थानीय कलाकारों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।धार्मिक मंचन अब धंधा बन चुका है, आस्था नहीं। सूत्रों का दावा है कि आयोजन पर सरकारी कोष से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ता हिन्दू महासभा

हिंदू महासभा का सीधा हमला

श्री पांडेय ने चेतावनी दी है कि रामलीला के नाम पर आस्था का उपहास और रामायण के पात्रों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों की गिरफ्तारी हो, आयोजन रद्द किया जाए।

रामनगरी में वेंटिलेटर घोटाला - जीवन रक्षक मशीनें बनीं शोपीस!

» 151 मशीनें, 6 करोड़ की लागत, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रहा जीवन का सहारा

» कोरोना में जो वेंटिलेटर जान बचाने के लिए खरीदे गए थे, आज धूल फांक रहे हैं। कारण - प्रशिक्षित डॉक्टर और टेक्नीशियन की भारी कमी। सवाल - क्या यह लापरवाही हत्या के बराबर नहीं?

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिला अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर वेंटिलेटरों की भरमार है, लेकिन हकीकत ये है कि इनसे मरीजों को जीवनदायी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान शासन और समाजसेवी संस्थाओं ने जिले के अस्पतालों में लगभग 151 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज 119 में से सिर्फ 50 संचालित,जिला अस्पताल 12 में से 0 संचालित श्रीराम अस्पताल 12 में से 12 संचालित, महिला अस्पताल 12 में से 0 संचालित यानी कुल मिलाकर 79 मशीनें धूल फांक रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, वेंटिलेटर का होना काफी नहीं, उसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित निश्चेतक चिकित्सक और कुशल टेक्नीशियन जरूरी हैं।

जिला अस्पताल में सिर्फ दो डॉक्टर हैं जो इन्हें चला सकते हैं। नतीजा गंभीर मरीजों को लखनऊ या बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है। कई मरीज सफर में ही दम तोड़ देते हैं।

आधिकारिक बयान बनाम हकीकत

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा का कहना है -

वेंटिलेटरों के रखरखाव के लिए एएमसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जल्द सुधार होगा। लेकिन सवाल यह है कि 6 करोड़ की मशीनें महीनों से ठप हैं और 'सुधार जल्द होगा'

जनता का सवाल - जिम्मेदार कौन?

करोड़ों के वेंटिलेटर धूल क्यों खा रहे हैं?
प्रशिक्षित स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं हुई?
क्या यह लापरवाही सरकारी हत्या नहीं?
जेम पोर्टल की एएमसी प्रक्रिया कब तक फाइलों में दबी रहेगी?
रामनगरी अयोध्या में भगवान का दरबार सज रहा है, लेकिन अस्पतालों में मौत का खेल जारी है। वेंटिलेटर जीवन देने के लिए थे, पर सिस्टम ने उन्हें मौत का सामान बना दिया।

भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो बाइक्स पर 10 लाख का जुर्माना

ग्राहकों को पैसे लौटाने और विज्ञापन तुरंत हटाने का आदेश

» एकांश तिवारी, स्वराज इंडिया

नई दिल्ली। बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी रैपिडो पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बड़ा एक्शन लिया है। गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने पर कंपनी पर 10 लाख का रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, ग्राहकों को पैसा लौटाने और ऐसे विज्ञापन तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है।

रैपिडो ने दावा किया था- '5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक', लेकिन हक़ीकत अलग थी। पिछले दो साल में 1800 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत की कि कंपनी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। यह विज्ञापन 548 दिन तक, 120 शहरों में और कई भाषाओं में चलाए गए।

कैशबैक नहीं, सिर्फ रैपिडो कॉइन्स दिए गए : जांच में सामने आया कि कंपनी ने 50 रुपए कैशबैक देने के बजाय 'रैपिडो कॉइन्स' दिए, जिन्हें सिर्फ बाइक राइड में इस्तेमाल किया जा सकता था। वो भी सिर्फ 7 दिन तक वैध और कई शर्तों के साथ। इससे ग्राहक बार-बार सर्विस इस्तेमाल करने को मजबूर हुए।

» '5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक' निकला झूठा दावा

» 1800 से ज्यादा शिकायतों के बाद जुर्माना, ग्राहकों को मिलेगा रिफंड

शिकायतें बढ़ती गईं

अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच रैपिडो पर 575 शिकायतें आईं, जबकि जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच ये संख्या बढ़कर 1,224 हो गई। इनमें कैशबैक न मिलने, ज्यादा पैसे वसूलने, रिफंड में देरी और ड्राइवर के दुर्व्यवहार जैसी समस्याएँ शामिल थीं। CCPA ने कहा कि रैपिडो ने 'कमिशन और ओमिशन' दोनों गलतियां कीं–यानी बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना और ज़रूरी जानकारी छुपाना। अब कंपनी को 15 दिन में बताना होगा कि वह आदेशों का पालन कैसे कर रही है।

स्वराज इंडिया की ग्राहकों से अपील

अगर आपको भी रैपिडो अन्य टैक्सी एजेंसी के भ्रामक विज्ञापन से नुकसान हुआ है, तो आप CCPA या स्थानीय कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। किसी भी ऐप/ऑफर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी शर्तें जरूर पढ़ें। भ्रामक विज्ञापन दिखे तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगी रेखा गुप्ता

दिल्ली सीएम पर हमले के बाद हुआ बदलाव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। अब सीआरपीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जनसुनवाई में नए कड़े नियम लागू होंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के एक दिन बाद सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सीएम को अब जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई है और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा का जिम्मा हटाकर सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है। बता दें कि बुधवार (20 अगस्त) को रेखा गुप्ता के आवास पर ही जन सुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया था। सीएम की सुरक्षा के लिए आज सुबह ही सीआरपीएफ की टीम उनके निवास पर पहुंच गई है।

सीएम की सुरक्षा में क्या हुए बदलाव? : दरअसल हमले के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बदलाव किए हैं। सीआरपीएफ के जवान अब उनकी सुरक्षा संभाल रहे हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीएम आवास पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही अब दिल्ली पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। अब से होने वाली जनसुनवाई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जाएगी।

जनसुनवाई में होगी सख्ती

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके तहत जनसुनवाई के दौरान किसी भी नागरिक की शिकायत पहले वेरिफाई की जाएगी। पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के नजदीक न पहुंचे। जब भी सीएम सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाहर निकलेंगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत रहेगी और उसमें कोई कमी नहीं होगी। सरकार का दावा है कि सुरक्षा इंतजाम इतने मजबूत किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभावना न रहे।

सीएम पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं जांच जारी है।

नहीं मांगा सरकारी आवास

मंत्रालय ने कर दी बड़े बंगले की व्यवस्था

नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक शहरी विकास मंत्रालय से आधिकारिक आवास के लिए संपर्क नहीं किया है। फिर भी संपदा निदेशालय ने उनके दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक टाइप-8 बंगला खाली करा लिया है।

सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर धनखड़ बंगला लेने से इनकार करते हैं तो मंत्रालय उन्हें कोई दूसरा विकल्प दे सकता है।

मचा हड़कंप

भाजपा विधायक के उत्पीड़न से परेशान होकर ऐसा कदम उठाने का आरोप

'जहर' खाकर जनता दरबार में पहुंचा रिटायर्ड फौजी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। एक रिटायर्ड फौजी जहरीला पदार्थ खाकर सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचा। जानकारी हुई तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा विधायक के उत्पीड़न से परेशान होकर ऐसा कदम उठाने का आरोप है।

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक रिटायर्ड फौजी जहरीला पदार्थ खाकर सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गया। उसने वहां पर तैनात सिक्योरिटी स्टॉफ को यह बात बताई। इसके बाद उसे तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फौजी का आरोप है कि उसने गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के उत्पीड़न से तंग आकर यह कदम उठाया है। बताया गया कि गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के सिरौली निवासी रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर सीएम जनता दरबार में पहुंचे थे। यहां सुरक्षा में तैनात स्टाफ को उन्होंने बताया कि वह जहरीला पदार्थ खाकर आए हैं। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। इस दौरान सतबीर ने भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पर कई गंभीर आरोप लगाए।

'सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया था...'

रिटायर्ड फौजी के पास से एक शिकायती पत्र मिला। जिसमें लिखा था कि विधायक ने अप्रैल में कलश यात्रा निकाली थी। उनका उद्देश्य सरकार गिराना था। जानकारी होने पर रिटायर्ड फौजी ने सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया था। इसके बाद से विधायक उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर गौतम पल्ली रवेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सतबीर की हालत ठीक है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।